न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 379 / 2024

अनवान : —

1. संतगिर पुत्र सोहनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुखराम गिरी पुत्री सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. साहब गर पुत्र सहीराम गर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम्

1. रेखगर पुत्र रामचन्द्रगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. सोहनगर पुत्र रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. जमना पत्नी स्व0 सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. प्रमेश्वरी पुत्री रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. सुखी पुत्री रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. प्रार्वती पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. उर्मिला पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. धनी पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. पुष्पा पुत्री सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 05/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 388 / 122 की कुल 5.1460 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 164 / 154 की कुल 14.9730 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो की वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 जो की वादीगण की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने भ्झी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादी [illegible] पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 [illegible] कि वादी के हक [illegible]सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सहीराम गर, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 388/122 की कुल 5.1460 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 164/154 की कुल 14.9730 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि [illegible] वादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर [illegible] शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी [illegible] वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार [illegible] हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 388/122 की कुल 5.1460 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 164/154 की कुल 14.9730 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 379/2024

अनवान : –

1. संतगिर पुत्र सोहनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुखराम गिरी पुत्री सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. साहब गर पुत्र सहीराम गर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रेखगर पुत्र रामचन्द्रगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. सोहनगर पुत्र रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. जमना पत्नी स्व0 सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. प्रमेश्वरी पुत्री रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. सुखी पुत्री रेखगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. प्रार्वती पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. उर्मिला पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. धनी पुत्री सोहनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. पुष्पा पुत्री सहीराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 379 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 388/122 की कुल 5.1460 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 164/154 की कुल 14.9730 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर